

प्रेस नोट - थाना राजेपुर दिनांक - 26.06.2026

**थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/26 धारा 333/74/109/352/351(2)
बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/26 धारा 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त इन्दरपाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. इन्दरपाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 20.06.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी के घर मे घुस कर प्रार्थी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करना तथा वादी के भाई द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की नियत से चाकू से बार करना व भद्दी-भद्दी गालियां देने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 96/26 धारा- 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट बनाम विन्दरपाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विन्दरपाल उपरोक्त को दिनांक 22.06.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है तथा आज दिनांक 26.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इन्दरपाल पुत्र पूरनलाल नि0 ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फरुखाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त इन्दरपाल द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मेरा विवाद रामखिलावन व उसके भाई से हो गया था। शेष बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त विन्दरपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 96/26 धारा- 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह
02. का0 वंश कुशवाहा
03. का0 निर्भय

मीडिया सेल फतेहगढ़।